

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021


क./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/239

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 28/2/09

संचालनालय के आदेश क्रमांक क./स्था.2/ई/21/बीईओ/2007-08/11/1536-37, भोपाल, दिनांक 06.09.08 द्वारा पदोन्नति आदेश के स.क्र. 48 पर श्री डी.पी.शर्मा, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय एस.एफ.मुरैना (वेतनमान 5500-175-9000) (प्रतिनियुक्ति बी.आर.सी.सी.मुरैना) की पदोन्नति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान 6500-200-10500) के पद पर पदोन्नत किया जाकर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जौरा जिला मुरैना में की गई है। चूंकि श्री शर्मा वर्तमान में बी.आर.सी.सी.मुरैना (जिला शिक्षा केन्द्र मुरैना) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। जिला शिक्षा केन्द्र मुरैना के पत्र क्रमांक 4643, दिनांक 17.09.08 द्वारा प्रदान की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री शर्मा की पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जौरा जिला मुरैना के स्थान पर बी.आर.सी.सी.मुरैना (जिला शिक्षा केन्द्र मुरैना) यथा संशोधित करते हुये प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।


पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 28/2/09

पृ. क./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/240

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर व्यक्तिगत स्तर से मानीटर करने एवं पालन सुनिश्चित कराने हेतु पालनार्थ।
6. जिला कलेक्टर जिला मुरैना मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्य पालन अधिकारी मुरैना मध्यप्रदेश।
8. कोषालय अधिकारी मुरैना मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सहायक संचालक (स्थापना-1 एवं 3) स्थानीय की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक संचालक (कम्प्यूटर) स्थानीय की ओर आज ही आदेश स्केन कर ई-मेल सभी जिलों करने एवं जारी आदेश को विभागीय वेबसाइट पर रखने हेतु पालनार्थ।
12. विभागीय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जौरा मध्यप्रदेश।
13. संबंधित पदोन्नत लोक सेवक _____ की ओर सूचनार्थ तथा निर्धारित समयावधि में पालनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश